नीर

माननीय डॉ. रमन सिंह
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

माननीय श्री रामसेवक पैकरा
मंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

माननीय श्री लाभचंद बाफना
संसदीय सचिव, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

माननीय श्री रामसेवक पैकरा जी, मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन, गृह, जेल एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रभार के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से संबंधित कार्यकाल एवं वर्ष 2003 के पश्चात् वर्तमान शासन में हुई उल्लेखनीय प्रगति एवं विकास की संक्षिप्त गाथा

छत्तीसगढ़ शासन
छ.ग. राज्य, जल एवं स्वच्छता मिशन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर, (छ.ग.)

दुर्ग आवर्धन जल प्रदाय योजना (द्वितीय फेस)
का
लोकार्पण

नीर

छत्तीसगढ़ शासन

छ.ग. राज्य, जल एवं स्वच्छता मिशन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

रायपुर, (छ.ग.)

नीर

पेयजल का सीधा संबंध मनुष्य के स्वास्थ्य से है। लगभग 80 प्रतिशत से ज्यादा बीमारियां जल जनित होती है। जल जनित बीमारियों का सीधा प्रभाव शिशुओं के स्वास्थ्य से प्राथमिक रूप से जुड़ा है। अंग्रेजों के शासनकाल में एवं आजादी के बाद क्रमशः सी.पी. एण्ड बरार, के तत्कालिन समय में प्रति एक हजार जन्म लेने वाले शिशुओं में से लगभग अधिकांश शिशुओं की मृत्यु डायरिया, डिसेन्ट्री इत्यादि जल जनित बीमारियों से हो जाती थी। इसमें आजादी के बाद से शनैः शनैः सुधार वर्ष 2003 तक हुआ है। वर्ष 2003 में ग्रामीण शिशु मृत्यु दर-95 प्रति हजार थी एवं U5MR-123 प्रति हजार थी जो छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पश्चात विशेषकर 2003 के बाद लोकप्रिय एवं यशस्वी नेतृत्व की वर्तमान सरकार के कार्यकाल में इसमें द्रुतगति से सुधार हुआ है। यह वर्तमान में एक हजार शिशुओं के जन्म पर अब घटकर 45 से कम रह गई है। इसी प्रकार उल्टी दस्त, इत्यादि 80 प्रतिशत से अधिक जल जनित बीमारियों के कारण वयस्क ग्रामीण नागरिको के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता था एवं वे बार-बार बीमार पड़ते थे। इसके कारण एक ओर जहां बीमारी के इलाज में दवाई-डाक्टर की फीस इत्यादि पर ग्रामीणों के मेहनत की कमाई का अधिकांश हिस्सा खर्च हो जाता था, वहीं दूसरी ओर मेहनत मजदूरी न करने से गरीबी की स्थिति और बढ़ जाती थी। वर्ष 2003 के पश्चात् लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय के दूरदृष्टियुक्त सुदृढ़ कार्ययोजना एवं शासन प्रशासन तंत्र में कसावट आने से एवं तत्कालिन माननीय मंत्रीजी के कुशल एवं प्रभावी नेतृत्व में विभाग द्वारा ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजनाओं के रूपांकन एवं योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन और बजट आबंटन में उत्तरोत्तर वृद्धि से स्थिति में तीव्र गति से सुधार हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्रीजी के

कुशल मार्गदर्शन में एवं माननीय विभागीय मंत्रीजी द्वारा लगातार समीक्षा एवं प्रदेश के विभिन्न स्थलों के भ्रमण से प्राप्त जानकारी एवं आंकलन करते हुये विभाग को दिये गये निर्देश एवं कड़े प्रशासकीय नियंत्रण तथा आवश्यक बजट आबंटन प्रदान करने से प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय की स्थिति में आमूलचूल परिवर्ततन हुआ है। विगत वर्षो में माननीय मंत्रीजी द्वारा कड़े अनुशासन, निर्देश एवं कुशल मार्गदर्शन, जिसमें महत्वपूर्ण मुद्दो पर उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्रीजी से समय लेकर विशेष चर्चाओं के माध्यम से विभाग की स्थिति एवं आवश्यकताओं से प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व को अवगत कराते हुये, विशेष बजट आबंटन प्रदान करते हुये योजनाओं को हाथ में लिया गया है। इससे विभाग की स्थिति में और सुधार हुआ है एवं प्रदेश की स्थिति में केन्द्र सरकार स्तर पर की गई विभिन्न समीक्षा बैठको में विशेष प्रशंसा विभाग को प्राप्त हुई है। इसमें उल्लेखनीय है कि, केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन की अभिनव सोलर पैनल आधारित ड्यूल जलप्रदाय योजना के प्रदेश में सफल क्रियान्वयन हेतु प्रदायित लक्ष्य एवं उपलब्धि में पूरे भारत देश में अव्वल रही है। उल्लेखनीय है कि, प्रदेश शासन की नीति एवं योजनाओं के कारण नलजल प्रदाय योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में घरेलू नल कनेक्शन प्रदान किये जाने में उल्लेखनीय कार्य हुये है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशंसा पुनः राष्ट्र स्तर पर हुई है।

STATE PROFILE

No. of Districts	27
No. of Blocks	146
No. of Panchayats	10,964
No. of Villages	19,716
No. of Habitations	74,647
No. of PWSS	2,822
No. of Mini PWSS	2,915
No. of Hand Pumps	2,63,072
Installed Solar Pumps	2,441
No. of Household Tap Connections	2,88,143

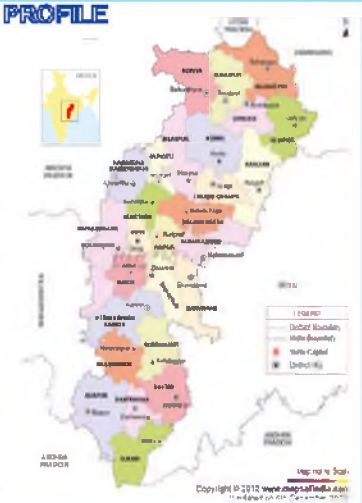

सामान्य जानकारी :-

प्रदेश में जनगणना 2011 के अनुसार कुल आबाद ग्राम 19716 है, इनमें कुल 73848 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्त्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 168 नगरीय निकायों में से 71 नगरीय निकायों में नगरीय मापदण्ड पर आधारित जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन कर शुद्ध पेयजल प्रदाय किया जा रहा है। वर्तमान में 69 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के कार्य विभिन्न स्तरों पर प्रगति पर है।

नीर

प्रमुख विशेषताएं

पेयजल कार्यक्रम

ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य की पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय व्यवस्था राज्य शासन एवं भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। नगरीय क्षेत्रों के पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नगरीय निकायों को 70 प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा किया जाता है इसके अतिरिक्त 30 प्रतिशत ऋण की व्यवस्था नगरीय निकाय द्वारा की जाती हैं। 30 प्रतिशत शासकीय ऋण राज्य शासन द्वारा भी दी जाती है। **यह व्यवस्था पूरे भारतवर्ष में एकमात्र एवं अभिनव नीति है, जिसमें 70 प्रतिशत अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है।**

यद्यपि पेयजल राज्य का विषयवस्तु है फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय-समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है। भारत सरकार, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय, द्वारा ग्रामीण पेयजल नीति में परिवर्तन करते हुये अप्रैल 2009 से "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" लागू किया गया है जिसे वर्ष 2013 में पुनरीक्षित किया गया है।

नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रुपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।

प्रमुख विशेषताए निम्नानुसार हैः-

मूलभूत सिद्धान्त

- जल सार्वजनिक उपयोग की वस्तु है एवं प्रत्येक व्यक्ति को पेयजल मांगने का अधिकार है।
- समाज के असहाय एवं वंचित श्रेणी के लोगों के लिए पेयजल की आवश्यकता को पूर्ण करना सर्वोच्च वरीयता/प्राथमिकता है।
- जन सामान्य की इस मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति सुनिश्चित करना शासन का मुख्य दायित्व है।

दृष्टि

ग्रामीण भारत में सब को हर समय सुरक्षित एवं पर्याप्त मात्रा में पेयजल की उपलब्धता हो।

नीर

विभाग का दायित्व

प्रदेश के ग्रामीण जनसंख्या को समुचित शुद्ध पेयजल निरंतर उपलब्ध कराना विभाग का मुख्य दायित्व है। विभाग के मुख्य कार्य निम्नानुसार है :-

1. ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रुपांकन एवं क्रियान्वयन।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।

नीर

- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू-गर्भीय जल स्त्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा भू-जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्त्रोत पर आधारित समूह नलजल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का संचालन एवं संधारण ।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्त्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यो का रूपांकन एवं क्रियान्वयन ।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं एवं शासकीय भवनों में संचालित आगनबाड़ी केन्द्रों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)

ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत स्वच्छता को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में ''केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम'' की शुरूआत की गई थी, जिसमें केवल पारिवारिक शौचालयों का निर्माण सम्मिलित था। उक्त कार्यक्रम में प्राप्त अनुभव के आधार पर वर्ष 1999 में स्वच्छता के सभी घटकों का समावेश करते हुए ''संपूर्ण स्वच्छता अभियान'' प्रारंभ किया गया जिसे 01 अप्रैल 2012 से इस कार्यक्रम का नाम यथोचित बदलाव के साथ ''निर्मल भारत अभियान'' रखा गया। पुनः 2 अक्टूबर 2014 से ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करते हुए नया नाम स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) प्रभावशील किया गया।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग छ.ग. शासन के आदेश क्रमांक 1653/3010/1/6 नया रायपुर दिनांक 25.11.2014 द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थान पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को नोडल विभाग घोषित किया है। तदानुसार विभाग द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरण की प्रकिया पूर्ण की जा चुकी है।

नीर

उद्देश्य

- ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों में उचित दूरी पर स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता एवं उपयोग।
- समुदाय के द्वारा पेयजल स्त्रोतों पर अनुश्रवण एवं निगरानी।
- समुदाय आधारित पेयजल योजना के रूपांकन में पीने-योग्य, विश्वसनीय, निरंतरता, सुविधाजनक, समानता एवं उपभोक्ता की मांग, दिशा-निर्देशक बिन्दु होंगे।
- खुले में शौच से मुक्त ग्राम पंचायतों में नलजल प्रदाय योजनाओं से पेयजल की उपलब्धता।
- समस्त ग्रामीण शासकीय शालाओं एवं आंगनबाडी केन्द्रों में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता।
- पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय समुदायों को अपने पेयजल स्त्रोत एवं तंत्र को स्वयं संचालन के लिए आवश्यक सहायता एवं माहौल उपलब्ध कराना।

लक्ष्य

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्ष 2011 से 2022 तक की समय-सीमा निर्धारित करना।

वर्ष 2017 तक

- 50 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाइप लाईन के माध्यम से जलप्रदाय जिसमे से कम से कम 35 प्रतिशत घरों में निजी नल कनेक्शन हो।
- हैण्डपंप पर निर्भरता 45 प्रतिशत से कम करना।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा कम से कम 60 प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्त्रोतों एवं योजनाओं का संधारण।

वर्ष 2022 तक

- 90 प्रतिशत ग्रामीण घरों में पाईप लाइन के माध्यम से जलप्रदाय जिसमें से कम से कम 80 प्रतिशत घरों में निजी नल कनेक्शन हो।
- हैण्डपंप पर निर्भरता 10 प्रतिशत से कम।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत-प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्त्रोतों एवं योजनाओं का संधारण ।

"राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम" के अंतर्गत क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यो में केन्द्र सरकार एवं राज्य शासन दोनों की भागीदारी है। विभाग इन नीति निर्देशों के अनुरूप ग्रामीण जल आपूर्ति हेतु प्रयासरत है।

बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था

1 हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल की व्यवस्था :-

स्वतंत्र भारत के सीपी बरार राज्य के पश्चात् 1.11.1956 को नवगठित मध्यप्रदेश शासन तथा 1 नवंबर 2000 को नवीन छत्तीसगढ़ राज्य के उदय के वर्ष 2003 तक की स्थिति में छत्तीसगढ़ राज्य के वर्तमान भौगोलिक क्षेत्रफल में ग्रामीण क्षेत्रों की आबादी को पेयजल प्रदाय करने हेतु कुल 1,35,992 हैण्डपंप स्थापित थे। तत्कालिन समय में व्यक्ति के जीवन के लिये अत्यावश्यक कम से कम 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के मानक से अत्यल्प बसाहटें पूर्ण रूप से अच्छादित थी। शेष बसाहटों में शासकीय जलप्रदाय की स्थिति अत्यंत गंभीर थी। प्रदेश के खास तौर से उत्तरीय एवं दक्षिण छत्तीसगढ़ में, जहां जनजाति आबादी घने जंगलों एवं पहाड़ी क्षेत्रों में सुदूर बसी हुई है, में पेयजल की स्थितियां काफी गंभीर थी।

छत्तीसगढ़ राज्य के बसाहटों में राज्य स्थापना से पहले ग्रामीण बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था बहुत गंभीर थी जिसमें राज्य के स्थापना के बाद से शनैः-शनैः सुधार हुआ है। राज्य के सभी बसाहटों में पेयजल की पूर्ति (FC) वर्ष 2003 की स्थिति में 44,452 थी। जिसमें प्रदेश के यशस्वी नेतृत्व में, वर्ष नवम्बर माह 2016 की

स्थिति में, बसाहटों में हैण्डपम्पों के माध्यम से पेयजल प्रदाय हेतु कुल 1,27,080 हैण्डपम्पों की वृद्धि हुई है। इस प्रकार नवम्बर 2016 की स्थिति में प्रदेश में 2,63,072 से अधिक हैण्डपंप के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में जलप्रदाय किया जा रहा है। बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था में विशेष सुधार करते हुये वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2016 में 93 प्रतिशत से अधिक हॅण्डपम्पों द्वारा बसाहटों में पेयजल उपलब्ध कराया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2014 से वर्ष 2016 (नवम्बर 2016) की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में विभाग द्वारा करायी गई पेयजल व्यवस्थाओं में सबसे अधिक तीव्रगति से कार्य हुआ है। **इस कार्यकाल में स्थापित हैण्डपंप की संख्या में 21,834 की वृद्धि हुई है, जो विगत 70 वर्षो में प्राप्त औसत 3,758 हैण्डपंप प्रतिवर्ष से लगभग 190 प्रतिशत अधिक है।** यह विगत दो वर्षो के तीव्र गति के विकास को परिलक्षित करता है।

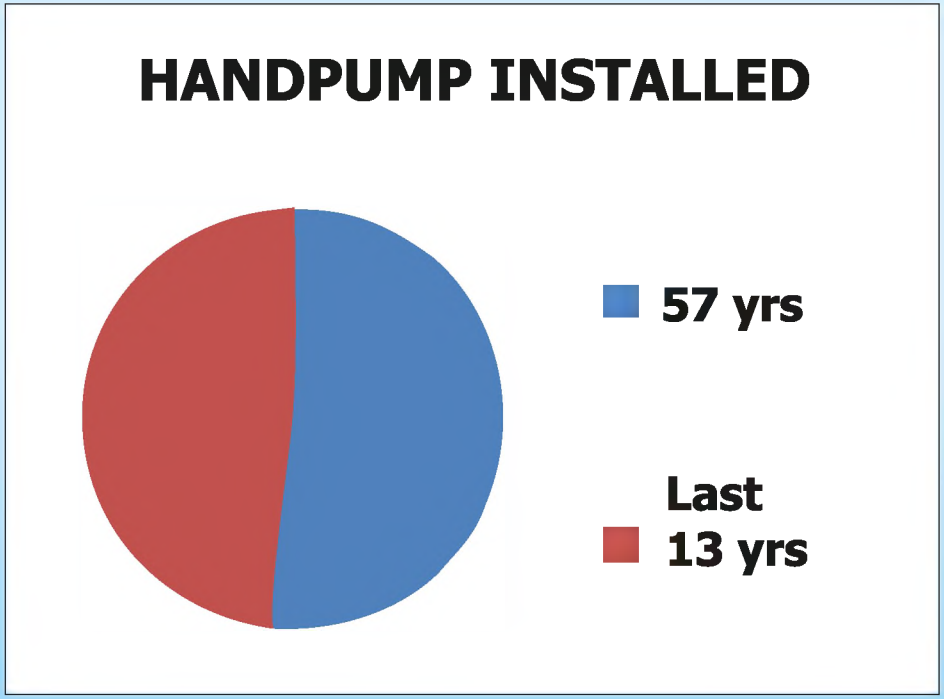

2 नलजल प्रदाय योजना से पेयजल व्यवस्था :-

भारत की आजादी के पश्चात् वर्ष 2003 की स्थिति में कुल 978 नलजल योजना के माध्यम से पेयजल व्यवस्था विभाग के माध्यम से बनाते हुए ग्राम पंचायतों कों संचालन संधारण हेतु हस्तांरित की गई थी। वर्ष 2003 के पश्चात् नवम्बर 2016 की स्थिति मे कुल 2822 नल जल प्रदाय योजनाओं को पूर्ण कर संबंधित ग्राम पंचायतों को संचालन संधारण हेतु हस्तांरित किया गया है। विगत 2 वर्षो के अधिक समय में वर्तमान विभागीय माननीय मंत्री जी द्वारा बजट आंबटन में की वृध्दि एवं समीक्षा से 519 नलजल प्रदाय योजनाओं से अधिक योजनाओं को पूर्ण करते हुए संबधित ग्राम पंचायत को हस्तांतरित की गई है। **इस प्रकार प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मे एवं माननीय मंत्री जी के कार्यकाल मे अद्यतन वर्ष 2003 से 188 प्रतिशत की रिकार्ड वृध्दि हुई हैं।**

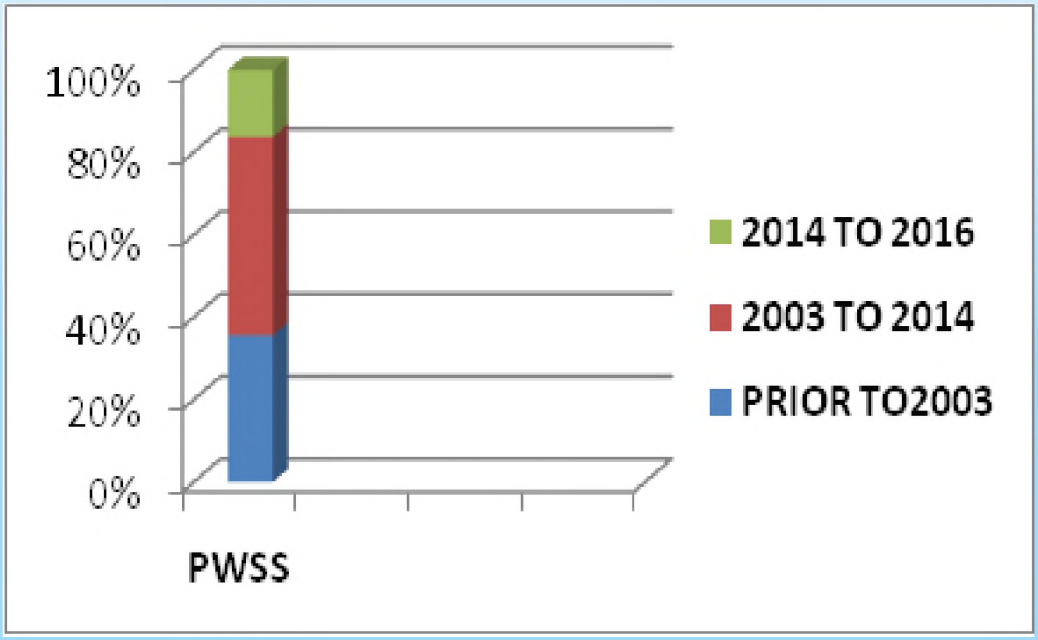

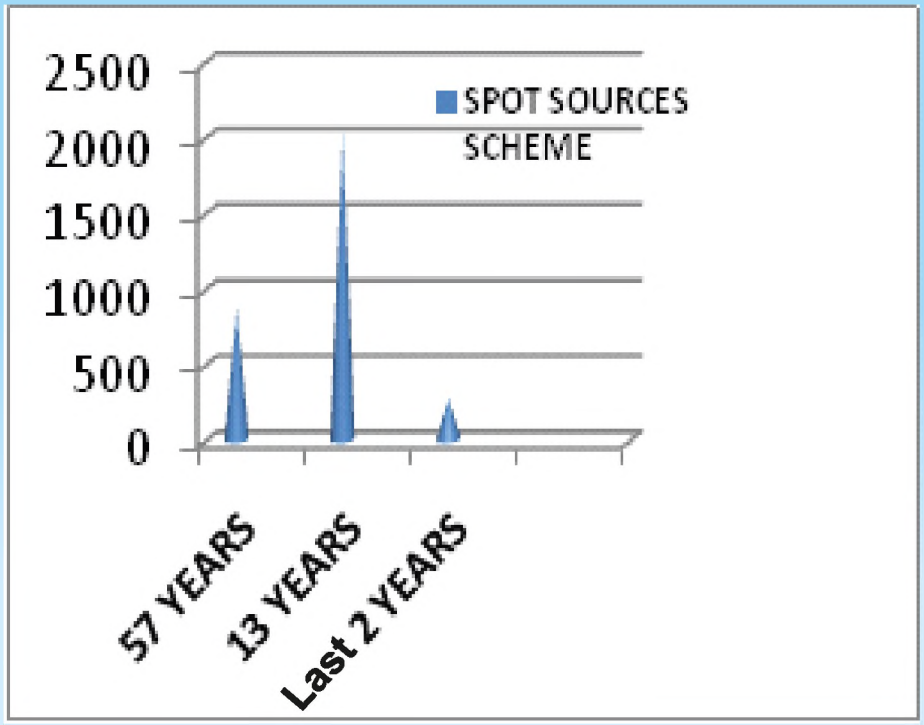

3 स्थल जल प्रदाय योजना :-

स्थल जल प्रदाय के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचल वर्तमान सरकार के निति एवं कार्यक्रमों के माध्यम से विभाग को प्रदायित बजट आबंटन अतंर्गत उल्लेखनीय कार्य हुए है। जहां वर्ष 2003 की स्थिति में कुल 866 स्थल जल प्रदाय योजनाएं विभाग द्वारा बनाकर संबंधित ग्राम पंचायतों को हस्तांरित की गई, वहीं विगत 13 वर्षो में 2949 योजनाएं विभाग द्वारा पूर्ण कर ग्राम पंचायतों को संचालन संधारण के लिए हस्तांतरित की गई। **इस प्रकार आजादी के पश्चात् के 57 वर्षो में जितना काम हुआ उसका 2.36 गुने से अधिक कार्य विगत 13 वर्षो में हुआ है और विगत 2 वर्षो में 1166 योजनाएं पूर्ण कर संबंधित ग्राम पंचायतो को हस्तांतरित की गई है।**

4 सोलर पम्पों से पेयजल का प्रदाय :-

आजादी के पश्चात् वर्ष 2003 तक सोलर आधारित पेय जल प्रदाय योजना एक भी क्रियान्वित नही हुई, जबकि विगत 13 वर्षो में विभाग द्वारा वर्तमान प्रदेश के मुखिया के मार्गदर्शन में नवीन तकनीक के अभिनव प्रयास करते हुए विभाग द्वारा 2441 योजनाओ का क्रियान्वन कर ग्रामीण जनता को इसका लाभ प्रदान किया गया है। इस अभिनव प्रयास के लिये छत्तीसगढ़ राज्य की प्रशंसा भारत सरकार द्वारा की गई है एवं **इस प्रकार के कार्य करने वाला छत्तीसगढ़ देश में अव्वल राज्य है।**

राजनांदगांव शहर से 150 कि.मी. दूर महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगे ग्राम नवागांव (औंधी क्षेत्र) वि.खं. मानपुर में सौर ऊर्जा चलित पंप एवं हैंडपंप

PREMIER

5 घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की उपलब्धता :-

प्रदेश के वर्ष 2003 के पश्चात् के सरकार द्वारा कुशल वित्तीय प्रबंधन एवं कार्यो पर कड़े प्रशासनिक एवं राजनैतिक नियंत्रण से, जिसके लिए विभागीय माननीय मंत्री जी द्वारा विभिन्न समीक्षा बैठकों के माध्यमों से विभाग को प्राप्त निर्देश एवं मार्गदर्शन से राज्य के ग्रामीण अंचलो की आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, एवं खेती किसानी के उन्नत तरीकों, धान एवं अन्य फसल खरीदी मंडी समितियों के माध्यम से किये जाने एवं किसानो के बैंक खातों को खुलाकर उनके खातों मे सीधे धन राशि हस्तातंरण से प्रदेश में खुशहाली का महौल बना है एवं विभाग के अभिनव प्रयास से ग्रामीण घरेलू कनेक्शन दिए जाने की योजना से घर-घर में अब पेयजल का प्रदाय किया जा रहा है। **विगत 2 वर्ष के अधिक समय में लगभग 2,44,193 कनेक्शन प्रदायित किए गए है जबकि वर्ष 2003 में घरेलू नल कनेक्शन की संख्या शून्य थी।** 2003 के पश्चात् अद्यतन 2,44,193 घरेलू नल कनेक्शन ग्रामीण अंचल के नागरिकों को उनके घरों मे प्रदान किये गये है। यह उपलब्धि विभाग के लिए नवोन्मेषी एवं ग्रामीणों की स्थिति में सुधार को स्पष्ट रूप से रेखाकिंत करती है। इस योजना के अन्तर्गत शासन की नीति अनुसार ग्राम पंचायतों के माध्यम से बड़े किसानों एवं गरीबी रेखा के ऊपर समाज के हर वर्ग से जुड़े परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित जलकर वसूलीकर योजनाओं का संचालन एवं संधारण किया जाना है।

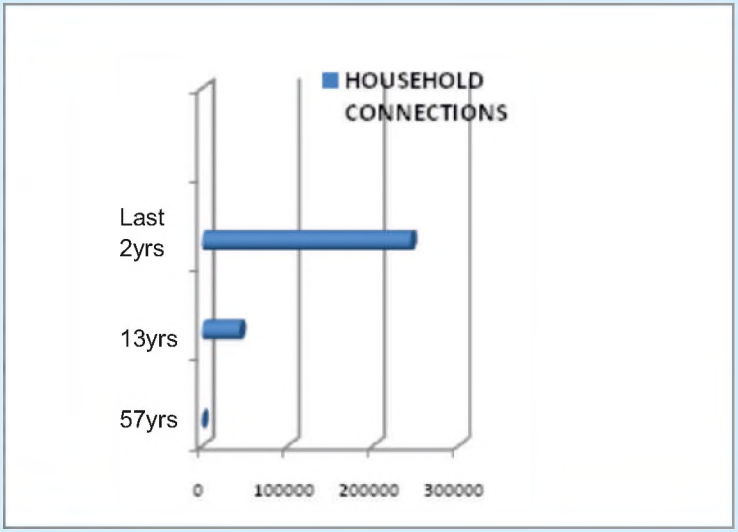

योजनाओ के संचालन एवं संधारण के लिए ग्राम पंचायतों को शासन की नई नीति अनुसार चौदवे वित्त आयोग से धनराशि संबंधित ग्राम पंचायतों में बैंक खातो में सीधे हस्तांतरित की गई है एवं की जा रही है। इससे ग्राम पंचायतों में उपलब्ध धनराशि जहां एक ओर बढ़ रही है वही दूसरी ओर गांव के पढ़े लिखे एवं प्रशिक्षण द्वारा कौशल उन्नत हुए ग्रामीण बेरोजगारों को ग्राम में ही उनकी अपनी योजनाओं के संचालन संधारण के कार्य में रोजगार के साधन उपलब्ध हो रहे है।

उल्लेखनीय है कि नलजल योजनाओं के संचालन एवं संधारण में इलेक्ट्रीशियन, फिटर, राजमिस्त्री, वेल्डर, टाईपिस्ट, वाल्वमेन, समयपाल इत्यादि कौशल प्राप्त ग्रामीण नौजवान एवं अकुशल , अर्द्धकुशल एवं कुशल श्रमिकों के शासन द्वारा जारी किए गए न्यूनतम पारिश्रमिक दर पर गांव के मेहनत कश लोगों के नियोजन से संचालन एवं संधारण के कार्य किये जा रहे है। योजनाओं के उच्च तकनीकी कार्यो के लिये विभाग से परामर्श प्राप्त कर उन्नत ग्राम पंचायते निविदा अथवा सक्षम कार्यकारी गैर शासकीय संस्थाओ के माध्यम से नियमानुसार कार्य कराये जा सकते है। ऐसी ग्राम पंचायते जो उच्च तकनीकी कार्यो से प्रशिक्षित नही है वे विभाग के प्रशिक्षित अमले के माध्यम से नियमानुसार ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के द्वारा पारित संकल्प अनुसार एवं जिला जल एवं स्वच्छता समिति से प्रस्ताव पारित कराते हुये विभाग से कार्य करा सकते है। इसके लिए जिले के कलेक्टर , जिला जल एवं स्वच्छता समिति के अध्यक्ष है एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यपालन अभियंता जिला जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्य सचिव हैं।

6 स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था :-

छत्तीसगढ़ राज्य में वर्ष 2003 की स्थिति में कुल 8431 स्कूलों ही पेयजल प्रदाय व्यवस्था थी। वर्ष 2016 के नवम्बर माह तक कुल 55294 स्कूलों में पेयजल प्रदाय व्यवस्था माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में एवं माननीय मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में प्रशासनीक मदद से विभागीय बजट में हुई अभूतपूर्ववृध्दि के कारण विभाग द्वारा यह कार्य सपन्न किया गया। **यह वृध्दि वर्ष 2003 की तुलना में 5.55 गुनी है। दूसरे शब्दों में भारत की आजादी के पश्चात् 57 में जितना काम हुआ है उससे साढ़े पांच गुना से ज्यादा कार्य विगत मात्र 13 वर्षो में हुआ है।** यह उपलब्धी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में स्थापित स्कूलों में पढ़ने वाले छोटे-छोटे बच्चों, किशोर एवं हाईस्कूल में पढ़ने वाले युवा वर्ग के लिए अभुतपूर्व एवं उल्लेखनीय है।

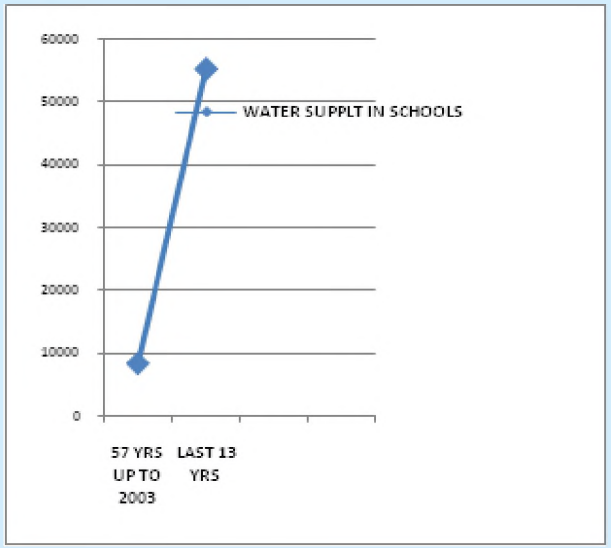

7 आंगनबाड़ियों में पेयजल की व्यवस्थाः-

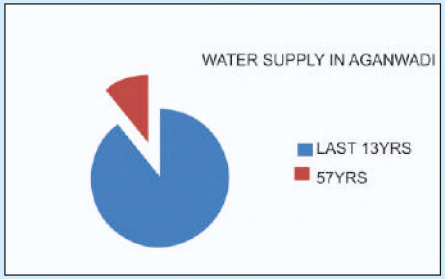

प्रदेश के आंगनबाड़ियों में आने वाले शिशुओं एवं छोटे-छोटे बच्चों को जलजनीत बीमारीयों से बचाने वर्ष 2003 तक मात्र 3100 आंगनबाड़ियों में पेयजल व्यवस्था थी। वर्तमान सरकार के द्वारा विगत 13 वर्षों में किए गए अविकल एवं उल्लेखनीय प्रयासों से प्रदेश के 26446 आंगनबाड़ियों में अब पेयजल प्रदाय व्यवस्था स्थापित हो चुकी है। **यह वर्ष 2003 तक की उपलब्धियों से 753% अधिक है।**

8 जल गुणवत्ता से प्रभावित शेष बसाहटों में पेयजल की व्यवस्था :-

आजादी के पश्चात् **वर्ष 2003 तक मात्र 7 प्रयोगशालाएं राज्य में पेयजल गुणवत्ता की जांच हेतु स्थापित थी।** प्रदेश के विगत 13 वर्षो में हुए चौतरफा विकास के कारण जल स्त्रोत पर दबाव बना है। विशेष कर स्थापित हुए उद्योगों, खेती किसानी के लिए आवश्यक भू-गर्भीय जल के स्त्रोत का नलकुप खनन कर उच्च क्षमता के सबमर्सिबल पम्प के मध्य से तेज दोहन के कारण भू-गर्भीय जल के स्तर में लगातर गिरावट हो रही है। इससे जहां एक ओर गर्मी की ऋतु में पेयजल के स्त्रोत सूख रहे है वहीं दूसरी ओर पेयजल की गुणवत्ता में रसायनिक तत्वों की मात्रा बढ़ने से नयी बीमारियों की उत्पत्ति हो रही है एवं प्रदेश के ग्रामीण अचलों में फ्लोरोसिस एवं आर्सेनाईटिस

का फैलाव हो रहा है। राज्य शासन के संवेदनशील नेतृत्व द्वारा इसे वर्ष 2003 में ही पूर्वानुमान लगा लिया था एवं तत्काल इसके लिये आवश्यक धनराशि का प्रावधान केन्द्र शासन से प्राप्त धनराशि एवं राज्य शासन के बजट से समुचित प्रावधान करते हुए मैदानी क्षेत्रों में प्रयास तेज किये गये। **विगत् 13 वर्षों में प्रदेश में 45 प्रयोगशालाएं स्थापित हो चुकी हैं एवं इनके माध्यम से तेज गति से जल प्रदाय श्रोतों का भारतीय मानक 10500 अनुसार पेयजल परीक्षण किया जा रहा है।** स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाली ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के माध्यम से विभाग द्वारा प्रदायित मैदानी जल नमूना परीक्षण पेटी (फील्ड टेस्ट कीट) के माध्यम से ग्रामीणों को प्रशिक्षित करते हुए लगातार पेयजल गुणवत्ता पर निगरानी ग्रामीणों के माध्यम से रखी जा रही है। इसके लिए वर्ष 2003 तक किसी भी प्रकार के प्रयास दूरदर्शिता दिखाते हुए तत्कालिन सरकार द्वारा नहीं किये गये जबकि वर्ष 2003 के पश्चात् वर्तमान सरकार द्वारा दूरदर्शिता के साथ समुचित कार्यनीति एवं कार्यक्रम बनाते हुए, साथ-साथ समुचित धनराशि बजट के माध्यम से विभाग को देते हुए किये गये कार्यो से ग्रामीण पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता पर विशेष जोर देकर परीक्षण के परिणामों को सरकारी बेबसाईट में लगातार डाला जा रहा है।

दूषित पाये गये पेयजल स्रोतों को गंभीरता दिखाते हुए उससे होने वाली बीमारियों की गंभीरता का श्रेणीकरण कर तत्काल स्रोतों को कैप किया गया है, एवं किया जा रहा है तथा समस्या के निदान के लिए हैण्डपंप अटैच्ड विभिन्न तकनीक के संयंत्र स्थापित कर उनके माध्यम से शुद्ध पेयजल प्रदाय करने की व्यवस्था की गई है।

यह व्यवस्था तात्कालिक रूप से कुछ समय के लिए रखी गई है एवं इसके पूर्णकालिक निदान के लिए सतही स्रोतों पर आधारित (वर्तमान सरकार के अभिनव प्रयासों से प्रदेश की जीवन दायिनी नदियों में छोट-छोटे एनीकट लगातार बन गये हैं एवं बनाये जा रहे हैं) एवं बडे बांधो से पेयजल को प्राथमिकता में रखते हुए जल आरक्षण के माध्यम से दूरगामी नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत समस्याग्रस्त क्षेत्रों के लिए समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं को हांथ में लिया गया है एवं आने वाले पीढ़ियों के लिए पेयजल समुचित मात्रा में उपलब्ध हो सके साथ ही अन्य औद्योगिक, संस्थागत, सामाजिक इत्यादि जल की आवश्यकताओं को देखते हुए नीति एवं कार्यक्रम बनाये गये हैं।

यह व्यवस्था वर्ष 2003 के पहले इतने सार्थक रूप से नहीं बनाई गई थी और न ही इनके लिये बजट में समुचित धनराशि रखकर रचनात्मक कार्यो के लिए प्रयास हुए थे। **इस प्रकार इस क्षेत्र में विभाग द्वारा वर्ष 2003 के पश्चात् 542 प्रतिशत अधिक कार्य हुए है।**

9 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय द्वारा किये गये उल्लेखनीय कार्य :-

पूर्व में अविभाजित मध्य प्रदेश से प्राप्त 26 विभागीय नलकूप मशीनों के माध्यम से नलकूप खनन का कार्य संपादित किया जाता रहा है। मध्य प्रदेश राज्य से प्राप्त विभागीय मशीनों द्वारा पुरानी तकनीकी न्यूमेटिक पद्धति से खनन कार्य संपादित होता था, जिसके फलस्वरूप नलकूप की प्रगति प्रभावित होती थीं। छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक संरचना अनुसार एवं मशीनों को सुदूर ग्रामीण अंचल में पहुँचयोग्य अनुसार आज दिनॉक तक 24 अतिरिक्त विभागीय मशीनों का क्रय किया गया जिसमें 10 नग ट्रेक्टर माउंटेड 12 नग ट्रक माउंटेड एवं 02 क्राउलर माउंटेड एवं भौगोलिक संरचना अनुसार 06 नग काम्बीनेशन एवं 18 नग डी.टी. एच. मशीनों का क्रय किया । **इस प्रकार वर्ष 2004-05 की तुलना में विगत वर्ष तक 360 प्रतिशत अधिक कार्य विभागीय मशीनों द्वारा किये गये।**

क्रॉलर-माउण्टेड मशीन को दुर्गम ईलाके में कार्य करने हेतु पहुंच मार्ग तक परिवहन किये जाने का छायाचित्र

- इसके अतिरिक्त 05 नवीन हाइड्रोफ्क्चर मशीनों को क्रय कर इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य के लगभग 12500 नलकूपों से अधिक का जीर्णोद्धार (असफल नलकूपों को हाइड्रोफ्रेक्चर पद्धति से सफल किया गया) कर सफल बनाया गया है।
- माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के विशेष पिछड़ी जनजाति जैसे कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा इत्यादि की पेयजल विहीन बसाहटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया।
- बस्तर संभाग में पेयजल विहीन बसाहटों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार बस्तर संभाग में कार्यरत मशीनों के अतिरिक्त अन्य (वि./यां) खंडों में कार्यरत विभागीय खनन मशीनों को भेजकर अभियान चलाकर आदिवासी अंचल में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया।
- समय-समय पर छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न जिलों के सूखा प्रभावित होने पर विभागीय रिग मशीनों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने में विशेष योगदान दिया गया।

कम क्षमता के अथवा सूखे नलकूपों में हाइड्रोफेक्चारिंग करने हाइड्रोफेक्चारिंग मशीन का छायाचित्र

नवीन योजना

उल्लेखनीय है कि सतही श्रोतों पर आधारित समूह जल प्रदाय योजना विगत् 2-3 वर्षो में ही विभाग द्वारा अभिनव योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य में प्रथम बार भविष्य में होने वाली जल की आवश्यकताओं को सूझबूझ के साथ अभिलेखीकरण करते हुए न केवल कार्यक्रम बनाये गये हैं, बल्कि उन पर अमल करते हुए अतिशीघ्र राज्य की प्रथम समूह ग्रामीण पेयजल प्रदाय योजना को रचनात्मक रूप देते हुए शीघ्र लोकार्पित किये जाने की तैयारी माननीय मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एवं विभाग द्वारा प्रशासकीय एवं कार्यकारी कडे नियंत्रण से संपन्न किये जाने की तैयारी कर ली गई है।

उपसंहार

उपरोक्त आंकडों एवं तथ्यों से स्पष्ट है कि **आजादी के पश्चात् तत्कालीन सी.पी.एण्ड बरार के समय तथा उसके बाद मध्यप्रदेश राज्य के दौरान एवं दिनांक 01.11.2000 को छत्तीसगढ राज्य बनने के वर्ष 2003 तक कुल 57 वर्षो में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्धता के क्षेत्र में जितना कार्य हुआ है उससे तीन गुने से भी अधिक कार्य विगत 13 वर्षों में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में हुआ है।** यह उपलब्धि कल्पनातीत है एवं प्रदेश के

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय की स्थिति में अतुलनीय एवं अभूतपूर्व विकास हुआ है। विकास की यह दर विगत् दो वर्षो से अधिक समय में उत्तरोत्तर बढ़ी है। उपरोक्त दर्शाये गये आंकडों एवं तथ्यों के आधार पर यह स्पष्टतः ऊर्ध्वमुखी है। यह विकास निश्चित रूप से एक ओर प्रदेश के दुर्गम एवं सघन वन प्रदेशों में रहने वाले ग्रामीण आदिवासियों, जिनकी मृत्यु पूर्व में गंदे पानी के पीने से उत्पन्न जल जनित बीमारी जैसे उल्टी, दस्त डायरिया इत्यादि से हो जाती थी,

जलटंकी टांकाघर - राजनांदगांव

वे अब सुरक्षित पेयजल श्रोत से उपलब्ध पेयजल पीने के कारण न केवल स्वस्थ हैं बल्कि शिशु एवं माताओं की प्रति हजार मृत्यु दर में भी अपेक्षा से ज्यादा कमी आई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के हमारे ग्रामीण भाईयों के श्रम दिवस में भी वृद्धि हुई है एवं वे इस प्रकार बढ़े हुए श्रम दिवस से जीवकोपार्जन के उन्नत साधनों को अपनाते हुए आर्थिक रूप से सक्षम हुए हैं।

उपरोक्त विवरण प्रदेश की वर्तमान सरकार एवं विशेष रूप से **विगत् दो वर्षो से ज्यादा में हुए पेयजल के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धियों के कारण राज्य की राष्ट्र स्तर पर प्रशंसा के साथ गौरवपूर्ण स्थान को प्राप्त किया है वरन् यह उत्तरोत्तर विकास करते हुए अल्प समय में ही विकसित राज्य के समकक्ष स्थिति को प्राप्त करने के लिए अब पूर्ण रूप से तैयार है।**

प्रदेश के यशस्वी, दूरदृष्टियुक्त, गतिशील प्रबुद्ध प्रज्ञायुक्त राजनैतिक मागदर्शन एवं कडे एवं अनुशासित समीक्षाओं के माध्यम से नियंत्रित प्रशासनिक तंत्र एवं तदानुसार निरंतर गतिशील कार्यविभाग के सघन कार्यकलापों से भौतिक एवं वित्तीय स्थापित हो रही उपलब्धियों एवं मानदण्ड अनुसार सृजित संरचनाओं का लाभ प्रदेश की समस्त ग्रामीण एवं शहरीय लोकतंत्र को उतरोत्तर प्राप्त हो रही है। यह विकास के नये-नये आयाम सर्व सामान्य के लिये बिना किसी धर्म, जाति एवं समाज के भेदभाव के सब के लिए सामान्य रूप से उपलब्ध है जो वर्तमान सरकार के विकास की नई गाथा सुनहरे अक्षरों में गढ़ रहा है एवं **"सबका साथ -सबका विकास"** के वर्तमान सरकार के बीज मंत्र को यथार्थ बना रहा है।

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

(14 अप्रैल से 24 अप्रैल 2016)

फ्लोराइडयुक्त दूषित जल के उपयोग से होने वाली बिमारी/विकृति

स्केलेटन फ्लोरोसिस

डेन्टल फ्लोरोसिस

आर्सेनिकयुक्त दूषित जल के उपयोग से होने वाली बिमारी/विकृति

आर्सेनिक शुद्धिकरण संयंत्र द्वारा उपचारित आर्सेनिकमुक्त शुद्ध जल का उपयोग करते बच्चे

हैण्डपम्प से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हेतु विभाग के टोल फ्री नम्बर 1800-233-0008 का उपयोग करें।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग, छत्तीसगढ़, नया रायपुर द्वारा जनहित में जारी

विकास की कुछ झलकियाँ

3

रायपुर जलप्रदाय आवर्धन योजना अंतर्गत् रांवाभाठा रिंग रोड के नीचे स्टील पाईप (कांक्रीट से अंदर एवं बाहर कोटेड) बिछाने के कार्य का छायाचित्र ।

जल पुर्नभरण कार्यक्रम अंतर्गत् सबसर्फेस डाईक का निर्माण

जल पुर्नभरण कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित किये जा रहे स्टाप डेम का निर्माण

जल पुर्नभरण कार्यक्रम अंतर्गत निर्मित स्टाप डेम

जल शुद्धिकरण संयंत्र - रायपुर जल प्रदाय आवर्धन योजना

रायपुर जलप्रदाय योजना अंतर्गत् इंटेकवेल के पंप हाऊस में स्थापित मोटर एवं कंट्रोल पैनल

फिल्टर बेड के पाईप संरचनाओं के बिछाने का चित्र

दुर्ग जलप्रदाय आवर्धन योजना के अंतर्गत् निर्मित विद्युत उपकेन्द्र

जलप्रदाय आवर्धन योजना के क्लॉरीफायर द्वारा बरसाती गंदे जल का शोधन

जल पुर्नभरण कार्यक्रम अंतर्गत् निर्मित बोल्डर चेक संरचना

क्लेरीफ्लॉक्यूलेटर

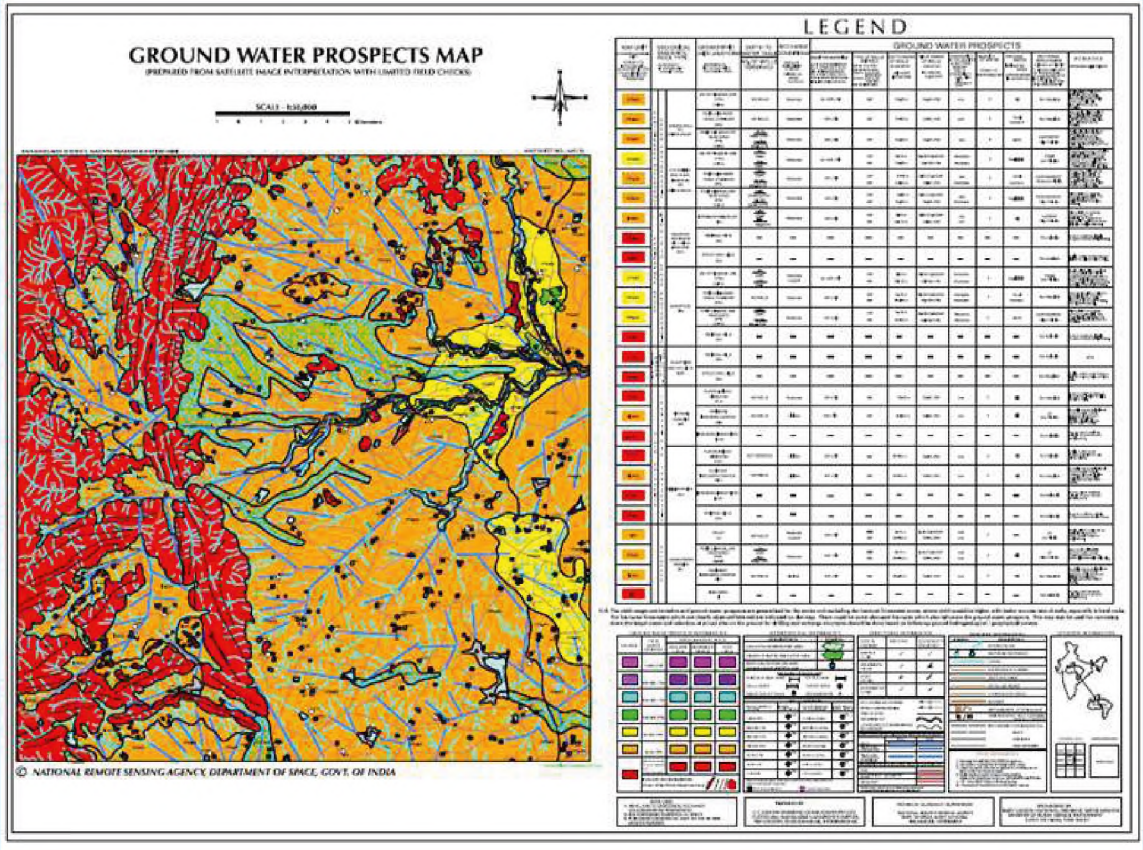
GROUND WATER PROSPECTS MAP
(PREPARED FROM SATELLITE IMAGE INTERPRETATION WITH LIMITED FIELD CHECKS)
SCALE - 1:50,000
LEGEND
GROUND WATER PROSPECTS
© NATIONAL REMOTE SENSING AGENCY, DEPARTMENT OF SPACE, GOVT. OF INDIA

3

जिला स्तरीय जलगुणवत्ता
जांच प्रयोगशाला
जिला-राजनांदगांव

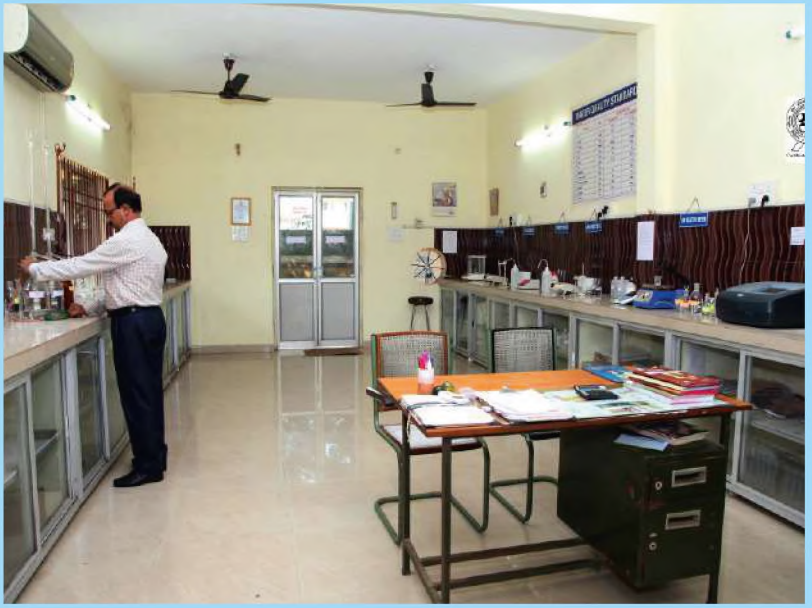

एन.ए.बी.एल. प्रमाणित
जिला स्तरीय जल
परीक्षण प्रयोगशाला
जिला-दुर्ग

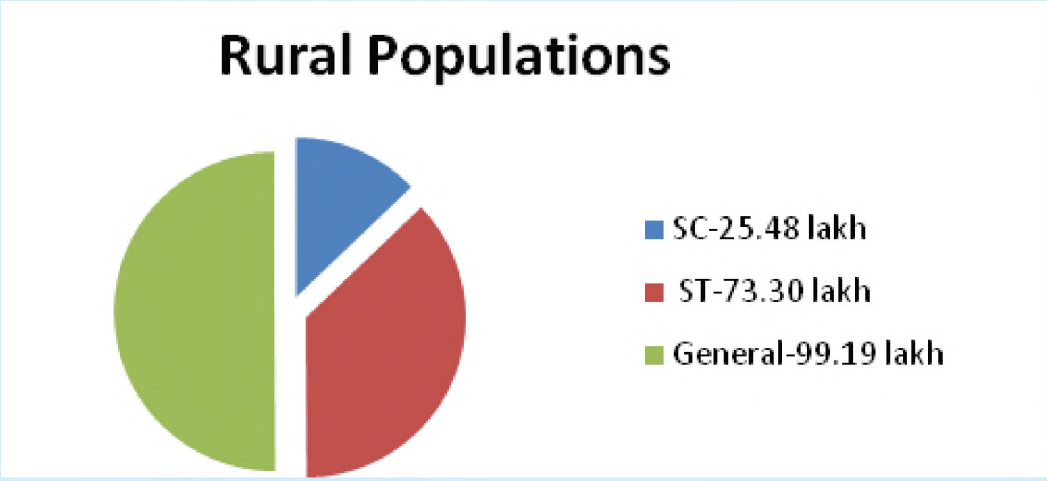
Rural Populations
SC-25.48 lakh
ST-73.30 lakh
General-99.19 lakh

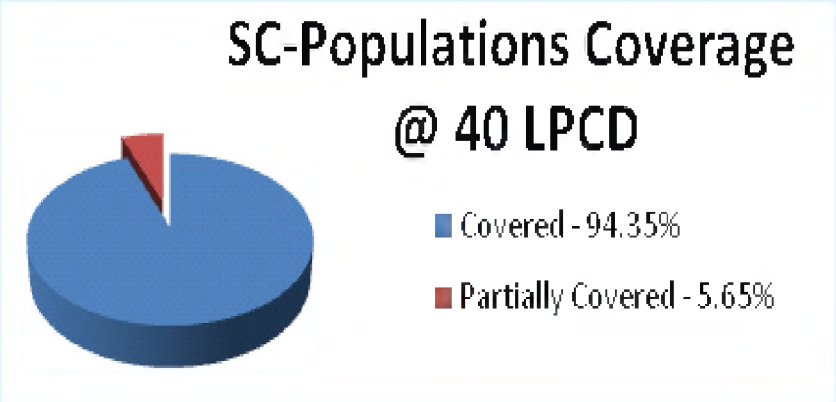
SC-Populations Coverage
@ 40 LPCD
Covered - 94.35%
Partially Covered - 5.65%

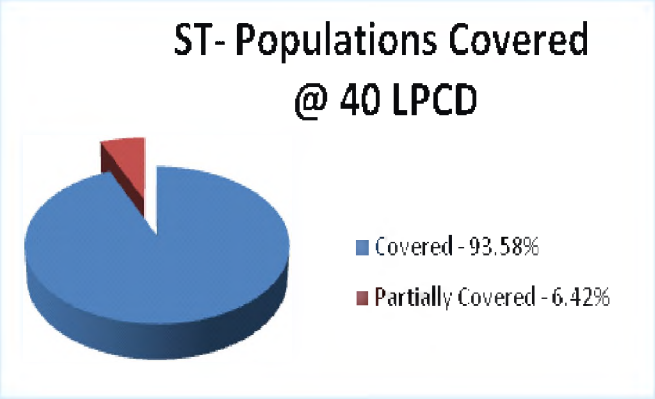
ST- Populations Covered
@ 40 LPCD
Covered - 93.58%
Partially Covered - 6.42%

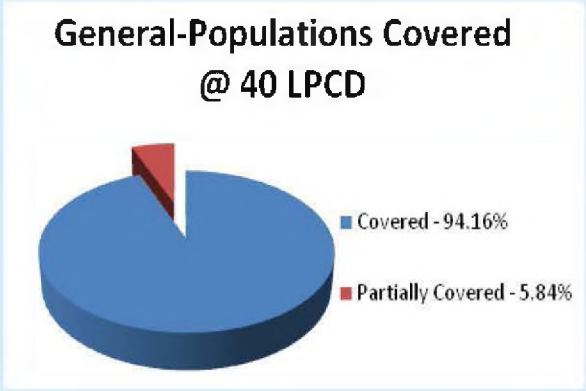
General-Populations Covered
@ 40 LPCD
Covered - 94.16%
Partially Covered - 5.84%

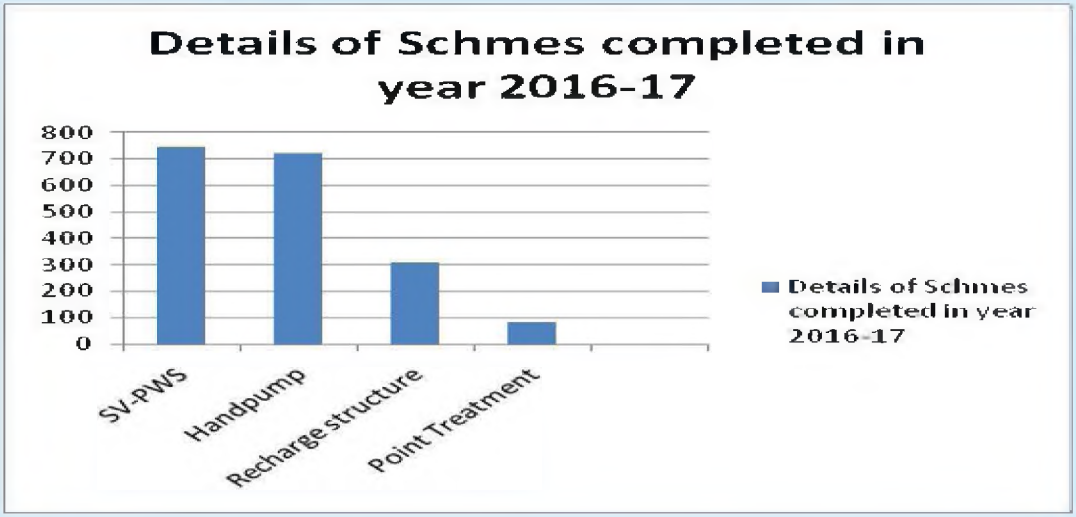
Details of Schmes completed in year 2016-17
800
700
600
500
400
300
200
100
0
SV-PWS
Handpump
Recharge structure
Point Treatment
Details of Schmes completed in year 2016-17

nrsc
WORKSHOP ON EXISTING DATABASE OF PHED-CG & ASSESSMENT OF GROUND WATER POTENTIAL BASED ON GEO-SPATIAL SCIENTIFIC DATABASE OF CHHATTISGARH STATE-TECHNOLOGICAL APPLICATIONS & INNOVATIONS - "WAY FORWARD"
NEW CIRCUIT HOUSE, CIVIL LINES, RAIPUR
DATE : 11-11-2016
C.G. STATE WATER & SANITATION ORGANISATION
SWSM/PUBLIC HEALTH ENGINEERING DEPARTMENT, RAIPUR (C.G.)

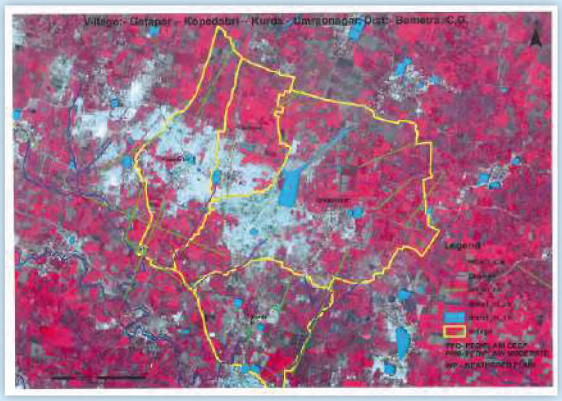
Village:- Gatapar - Kopedabri - Kurda - Umraonagar, Dist.- Bemetra, C.G.
Legend

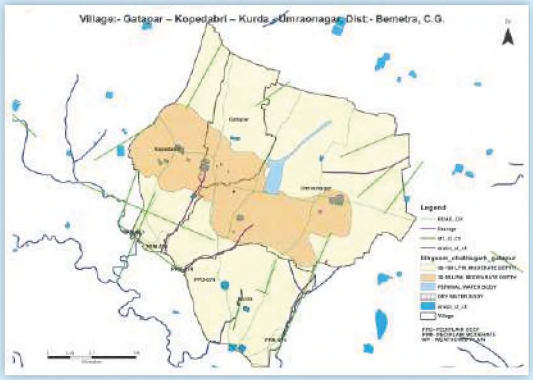
Village:- Gatapar – Kopedabri – Kurda – Umraonagar, Dist.- Bemetra, C.G.
Legend

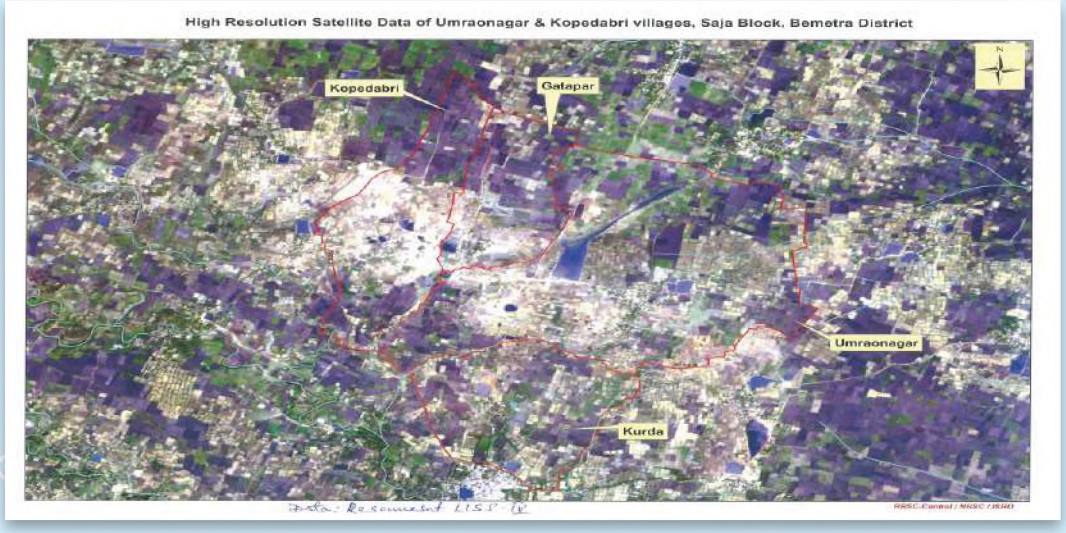
High Resolution Satellite Data of Umraonagar & Kopedabri villages, Saja Block, Bemetra District
Kopedabri
Gatapar
Umraonagar
Kurda

RESISTIVITY SURVEY

Ground Water Investigation

DATA SHEET DEPTH PROBE SCHLUMBERGER

ELECTRODE CONFIGURATION

Name - **Road Side Near Farm of Shri Harish Chandra (Govt. Land)** **Date 13/11/16**

Village – **Kopedabari** Block- **Saja** Distt.- **Bemetara**

VES-I

AB/2 Meters	MN/2 Meters	Spacing Factor	Measured Resistance (ROHMS)	Resistivity (OHM-M)
1.5	0.5	6.28	1.26	7.91
2.0		11.8	0.94	11.09
3.0		27.5	0.39	10.72
4.0		49.4	0.25	12.35
4.0	1	23.5	0.42	9.87
6.0		54.9	0.26	14.27
8.0		99	0.16	15.84
8.0	2.0	47.1	0.28	13.18
10.0		75.5	0.22	16.61
15.0		173.0	0.14	24.22
15.0	5.0	62.8	0.26	16.32
20.0		118.0	0.20	23.6
25.0		188.5	0.16	30.16
30		274.8	0.15	41.22
40		494.5	0.09	44.50
40	10	235.0	0.17	39.95
50		376.8	0.13	48.98
60		549.5	0.10	54.95
60	20	252.0	0.19	47.88
80		471.0	0.14	65.94
100		753.6	0.10	75.36
120		1099.0	0.09	98.91
150		1735.0	0.09	156.15

Latitude : - 21.821090787377802°

Longitude: - 81.32259837782716°

(Accuracy- 10m)

Anand Kumar Bhalla
Hydrogeologist

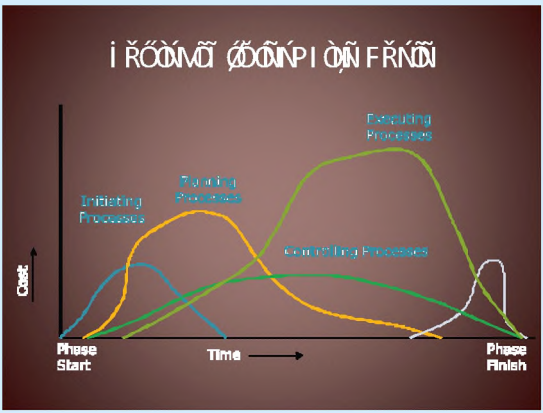

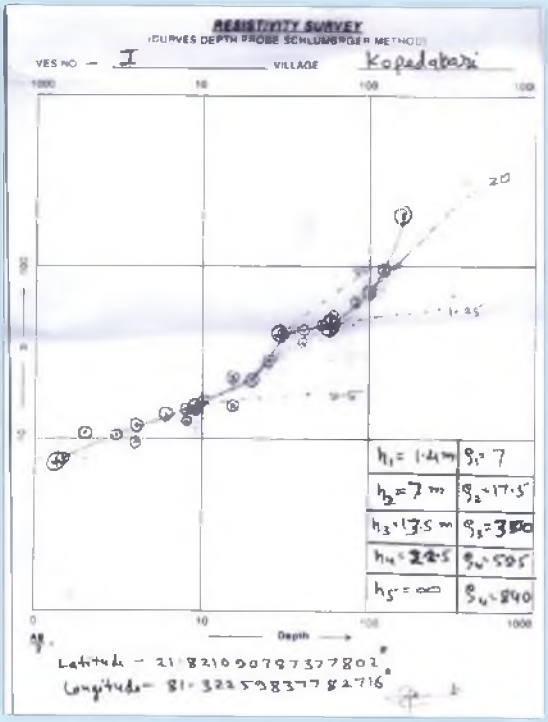

RESISTIVITY SURVEY
(CURVES DEPTH PROBE SCHLUMBERGER METHOD)
VES NO — I
VILLAGE Kopedabari
Depth
h1 = 1.4m
h2 = 7 m
h3 = 17.5 m
h4 = 22.5
h5 = ∞
Latitude
Longitude

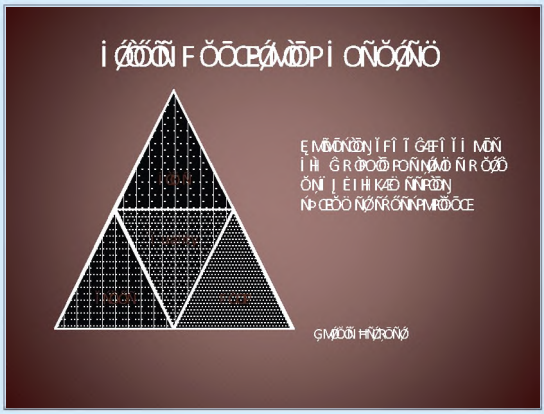

माननीय श्री राजेश मूणतजी मंत्री, छ.ग. शासन द्वारा कार्यस्थल पर हुए कार्य की जानकारी लेते हुए

माननीय श्री केदार कश्यपजी, मंत्री, छ.ग. शासन तत्कालीन लो.स्वा.यां.विभाग मंत्रीजी द्वारा रायपुर जल प्रदाय आवर्धन योजना के इन्टेक वेल के कार्यस्थल पर भ्रमण करते हुए

साजा समूह जलप्रदाय योजना

खम्हरिया एनीकट / इंटेकवेल

रॉ वॉटर सबस्टेशन खम्हरिया

क्लेरीफ्लॉक्यूलेटर

साजा समूह जलप्रदाय का जलशोधन संयंत्र

फिल्टर हाउस

एयर ब्लोवॅर

कैसकेड ऍरीयेटर

साजा समूह जलप्रदाय की उच्चस्तरीय जल टंकियां

ग्राम -सिंघौरी

ग्राम -घोटमर्रा

ग्राम -उसलापुर

ग्राम -हरदास

ग्राम -पदुमसरा

ग्राम - बरगा

साजा समूह जलप्रदाय की जल वितरण प्रणाली (स्टैण्ड पोस्ट)

ग्राम -ठेलका

ग्राम -हथमुड़ी

ग्राम -किरकी

ग्राम -हेडसपुर

जल वितरण प्रणाली
(स्टैण्ड पोस्ट)

ग्राम -पदुमसरा

ग्राम -भरमपुरी

ग्राम -ठेकापुर

ग्राम -सिंघौरी

राज्योत्सव 2016 अंतर्गत लो.स्वा.यां.वि. द्वारा साजा समूह जलप्रदाय योजना के मॉडल का प्रदर्शन

KRISHNA PUBLIC SCHOOL
Happy Independence Day
जरा याद करो कुर्बानी
भारत प्रगति की ओर
MAKE IN INDIA

प्रशिक्षण कार्यशाला एवं कार्यस्थल भ्रमण की झलकियाँ

3

मेक इन इण्डिया / छ.ग. कार्यक्रम अंतर्गत जलप्रदाय एवं स्वच्छता क्षेत्र में नवीन तकनीक पर भारत के निर्माणकर्ताओं का प्रदेश स्तरीय सेमीनार – भागीदारों का छायाचित्र

लो.स्वा.यां.वि. की वि./यां.संकाय अंतर्गत नलकूप खनन हेतु रिंग मॉनिटरिंग सिस्टम पर प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन सत्र

छ.ग. की भूगर्भीय जल स्त्रोतों के चिन्हांकन हेतु विभागीय डाटा बैंक एवं नवीन अंतरिक्ष तकनीकी पर NRSC/ ISRO, CGWB, CGCOST के साथ राज्य स्तरीय कार्यशाला का उद्घाटन सत्र

NRSC/ ISRO के साथ अंतरिक्ष तकनीकी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में सचिव छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां. विभाग द्वारा उद्बोधन

NRSC/ ISRO के साथ अंतरिक्ष तकनीकी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला में प्रमुख अभियंता लो.स्वा.यां. विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा उद्‌बोधन

NRSC/ ISRO के साथ अंतरिक्ष तकनीकी पर राज्य स्तरीय कार्यशाला के तकनीकी सत्र की समीक्षा चर्चा NRSC/ ISRO के वैज्ञानिक, CGWB, CG-COST एवं लो.स्वा.यां. विभाग, के अधिकारीगण

NRSC/ ISRO के साथ अंतरिक्ष तकनीकी पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र पर आमंत्रित वैज्ञानिक एवं अधिकारीगण

NRSC/ ISRO के साथ अंतरिक्ष तकनीकी पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में उपस्थित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारीगण

माननीय श्री लाभचंद बाफना जी, संसदीय सचिव, लो.स्वा.यां. विभाग को अंतरिक्ष तकनीकी पर कार्यस्थल पर भूगर्भीय संभावित क्षेत्र की जानकारी देते हुए वैज्ञानिक एवं अधिकारीगण

NRSC/ ISRO के वरिष्ठ वैज्ञानिक द्वारा कार्यस्थल पर भूगर्भीय पेयजल के संभावित क्षेत्र की अंतरिक्ष तकनीकी से प्राप्त जानकारी लो.स्वा.यां. विभाग के मैदानी अधिकारियों को देते हुए

लो.स्वा.यां. विभाग के अधिकारी कार्यस्थल पर अंतरिक्ष तकनीकी से प्राप्त नक्शों का कार्यस्थल पर अध्ययन करते हुए

लो.स्वा.यां. विभाग के अधिकारी अंतरिक्ष तकनीकी से प्राप्त संभावित भूगर्भीय पेयजल स्त्रोतों के क्षेत्र पर NRSC/ ISRO के वैज्ञानिकों से चर्चा करते हुए

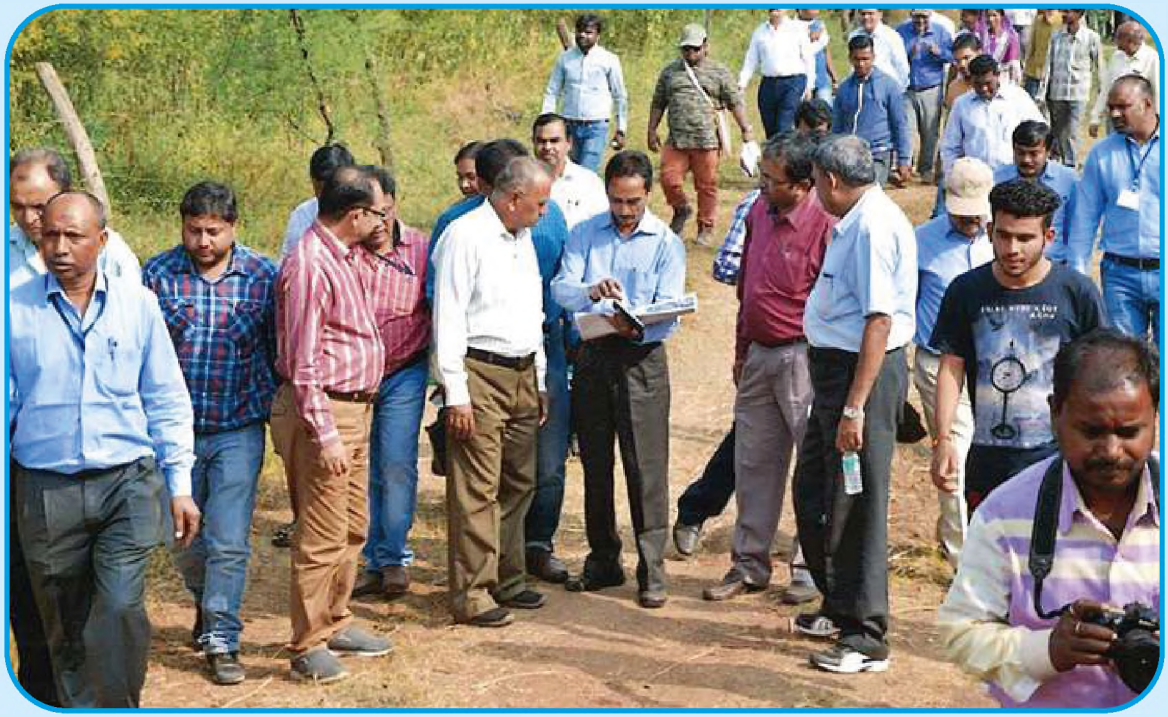

अंतरिक्ष तकनीकी से संभावित भूगर्भीय पेयजल स्त्रोत के नक्शे को कार्यस्थल पर चिन्हित करने की प्रक्रिया लो.स्वा.यां. विभाग के अधिकारियों को NRSC/ ISRO के वैज्ञानिक द्वारा कार्यस्थल पर समझाते हुए

रायपुर जलप्रदाय आवर्धन योजना अंतर्गत निर्मित 150 एम.एल.डी. जलशुद्धि संयंत्र का वृहंगम दृश्य।

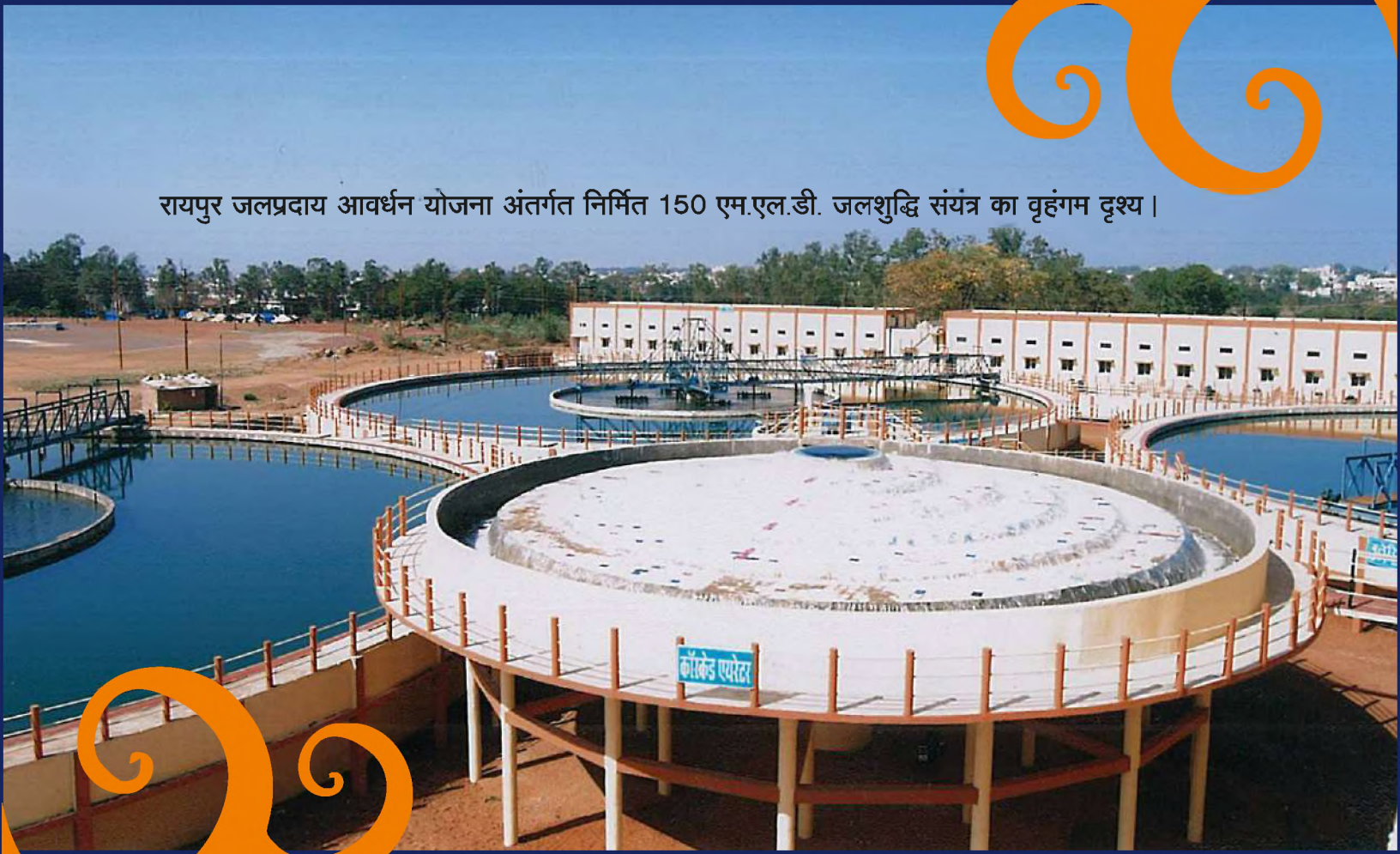

Credible Chhattisgarh
विश्वसनीय छत्तीसगढ़